

## !! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक: Actts./New Itmes/2023-24/ 8497

Dated 4/3/24

### सीमित निविदा बोली सूचना

अलवर न्याय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों हेतु 1,38,000 रुपये के **Intercom System Ext. Card** की खरीद की जानी है। इस हेतु राजस्थान राज्य में स्थित ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई. फर्म) जो कि संबंधित क्षेत्र के जिला उद्योग केन्द्र में एम.एस.एम.ई. फर्म के रूप में पंजीकृत हैं, से राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम-2013 के तहत द्वि-भागीय (तकनीकी एवं वित्तीय) मुहरबन्द शर्तहित बोली आमंत्रित की जाती हैं। बोली प्रपत्र शुल्क राशि 100/-रु०(एम.एस.एम.ई.फर्म के लिए) जमा कराकर, दिनांक 11.03.2024 की सांय 4.00 बजे तक इस कार्यालय की लेखा शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं, तथापि बोली प्रारूप एवं संलग्न अन्य विवरण को <http://sppp.rajasthan.gov.in> से भी प्राप्त किया जा सकता है। बोली प्रपत्र, धरोहर राशि 2760/-रु० के डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं अन्य वांछित दस्तावेजों सहित दिनांक 12.03.2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक इस कार्यालय में जमा कराया जा सकेगा जो कि दिनांक 12.03.2024 को सांय 4.30 बजे कय समिति द्वारा खोला जावेगा। बोली का प्रारूप, शर्तें एवं अन्य विवरण राजस्थान लोक उपापन पोर्टल की वेबसाईट <http://sppp.rajasthan.gov.in> तथा इस कार्यालय की विभागीय वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/alwar> पर भी देखे जा सकते हैं।

अध्यक्ष, कय समिति

जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर

क्रमांक: लेखा / नवीनमद / 2023-24 / 8498-8503

दिनांक : 4/3/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 01 श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर।
- 02 सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर शाखा-कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि खुली बोली सूचना एवं संलग्न किये गये बोली प्रपत्र व अन्य दस्तावेजों को राजस्थान लोक उपापन पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अविलंब अपलोड करावें।
- 03 सम्पादक, राजस्थान पत्रिका, अलवर।
- 04 नोटिस बोर्ड-कलैक्ट्रेट / कोषालय / सूचना केन्द्र - अलवर एवं कार्यालय हाजा पर चस्पा हेतु।



4/3/24

अध्यक्ष, कय समिति

जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर




सीमित निविदा सूचना

अलवर जिला न्यायक्षेत्र के विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों अलवर हेतु Intercom System Ext. Card क्रय के लिए बोली सूचना

1	बोली का नाम	Intercom System Ext. Card क्रय हेतु सीमित निविदा।
2	बोली जिसे संबोधित है।	अध्यक्ष, क्रय समिति-जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर।
3	बोली का सन्दर्भ	लेखा/ नवीन मद/ 2023-24 / 849885 दिनांक 04/03/24
4	बोली की अनुमानित लागत	1,38,000/- ₹0. (शब्देन रूपये एक लाख अड़तीस हजार मात्र)।
5	धरोहर राशि	.....27,600/- ₹. एम.एस.एम.ई. फर्म हेतु तथा एम.एस.एम.ई. के अतिरिक्त फर्मों हेतु /-
6	बोली दस्तावेज शुल्क	250/- ₹0 (एम.एस.एम.ई. फर्म हेतु) (Not Refundable) एम.एस.एम.ई. के अतिरिक्त फर्मों हेतु 500 /- (Not Refundable)
7	सामग्री आपूर्ति का समय	07 दिवस (सात दिवस)।
8	बोली विक्रय की अंतिम तिथि	दिनांक 11.03.2024 को सांय 4.00 बजे तक।
9	बोली प्राप्ति की तिथि	दिनांक 12.03.2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक।
10	तकनीकी बोली खोलने की तिथि	दिनांक 12.03.2024 को सांय 4.30 बजे।

- बोली उचित रूप से पृथक-पृथक दो मुहरबन्द लिफाफों में यथा-तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के रूप में तैयार की जाकर, दोनों लिफाफों को तीसरे मुहरबन्द लिफाफे में बन्द कर इस कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना होगा। लिफाफों पर पृथक-पृथक स्पष्ट रूप से क्रमशः " **Intercom System Ext. Card हेतु तकनीकी बोली**" तथा " **Intercom System Ext. Card हेतु वित्तीय बोली**" लिखा जावेगा तथा इसके पश्चात् दोनों लिफाफों को एक साथ एक अन्य लिफाफे में मुहरबन्द किया जाकर इस तीसरे लिफाफे पर " **Intercom System Ext. Card हेतु बोली**" लिखा जावे एवं बोली को निर्धारित तिथि एवं समय तक इस कार्यालय की लेखा शाखा में जमा कराना है। सशर्त एवं विलम्ब से प्राप्त बोलीओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- तकनीकी बोली के मुहरबन्द लिफाफे में परिशिष्ट-(2)" में अंकित दस्तावेज तथा बोली प्रपत्र के साथ संलग्न सामान्य शर्तों के प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र हस्ताक्षरित एवं फर्म की मुहर अंकित किये जाकर संलग्न करने हैं।
- डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि अलवर स्थित बैंक में **Payable** होगा, **DISTRICT & SESSIONS JUDGE, ALWAR** के नाम से तैयार कराकर प्रस्तुत करना है।
- वित्तीय बोली के मुहरबन्द लिफाफे में केवल " **Intercom System Ext. Card** के लिए" निविदत्त की गई दरों की परिशिष्ट-(9)" फर्म के लैटर हैड पत्र सहित रखी जानी है।
- कार्यालय में प्राप्त हुई बोलीयों को, क्रय समिति द्वारा विशिष्ट न्यायाधीश अ०जा०/अ०ज०जा० (अ०नि०) प्रकरण, अलवर के अवकाशागार में दिनांक 12.03.2024 को सांय 4.30 बजे, प्रथमतः तकनीकी बोली को उपस्थित बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जावेगा। ऐसी एम.एस.एम.ई.फर्म जिनकी तकनीकी बोली सही पाई जावेगी, केवल उन्हीं फर्मों की वित्तीय बोली को खोला जावेगा। वित्तीय बोली को तकनीकी बोली खोले जाने के पश्चात् दि. 12.03.2024 को भी खोला जा सकता है। यदि वित्तीय बोली को दि. 12.03.2024 को खोला जाना संभव नहीं हो सका तो, वित्तीय बोली खोलने की तिथि एवं समय की सूचना संबंधित फर्म को उनके मोबाईल नं० पर दी जावेगी। जो फर्म तकनीकी बोली में असफल पाई जावेगी उनकी वित्तीय बोली के बारे में कोई विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
- बोली खोले जाने वाले दिनांक को अवकाश घोषित होने पर बोली आगामी कार्य दिवस में खोली जावेगी।
- क्रय समिति द्वारा बोली को पूर्ण/आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए किसी भी फर्म की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता/अधिकृत प्राधिकारी  
मय फर्म की मुहर

  
04/3/24  
अध्यक्ष, क्रय समिति  
जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर





## सीमित निविदा सूचना विवरण पत्र

अलवर जिला न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों हेतु Intercom System Ext. Card क्रय के लिए बोली

1	बोली का नाम	Intercom System Ext. Card क्रय हेतु बोली।
2	बोली जिसे संबोधित है	अध्यक्ष, क्रय समिति-जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर।
3	बोली का सन्दर्भ	लेखा/ नवीनमद /2023-24/8498-8503 दिनांक 04/03/2024
4	बोली की अनुमानित लागत	1,38,000/- रु० (शब्देन रूपये एक लाख अड़तीस हजार मात्र)।
5	फर्म का नाम पता टेलीफोन/मोबाईल नं० आवास का पता फैक्स नं० ई-मेल पता	
6	फर्म की स्थापना का वर्ष	
7	फर्म का विवरण पब्लिकलि./प्रा.लि./ साझेदारी/प्रोपराईटरी है।	
8	एम.एस.एम.ई. पंजीयन क्रमांक (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
9	पैन नं० एवं धारक का नाम (पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें)	
10	बोली शुल्क जमा का विवरण (साक्ष्य संलग्न करें)	250/-रु०जरिये रसीद सं०..... दिनांक...../डीडीसं०.....दिनांक..... msme फर्म के लिए अथवा 500/-रु०जरिये रसीद सं०..... दिनांक...../डीडीसं०.....दिनांक..... Non msme फर्म के लिए
11	धरोहर राशि जमा का विवरण (मूल डी.डी. संलग्न करें)	2760/-रु०. एम.एस.एम.ई. फर्म हेतु तथा एम.एस.एम.ई. के अतिरिक्त फर्मों हेतु ..... /-
12	फर्म के बैंक खाते का विवरण (1) बैंक का नाम (2) शाखा का नाम (3) आई.एफ.एस. कोड सं० (4) खाता संख्या	

13. Intercom System Ext. Card की दरें पृथक से संलग्न "वित्तीय बोली" (परिशिष्ट-9) में अंकित की गई हैं।
14. निविदत्त की गई दरें दिनांक 31.03.2024 तक के लिए विधिमान्य होंगी एवं इस अवधि को पारस्परिक सहमति से 01 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
15. हम इस बोली सूचना संख्या : लेखा/ नवीन मद/ 2023-24/ ..... दिनांक ..... में अंकित विवरण एवं बोली के साथ संलग्न प्रपत्रों में अंकित समस्त निबंधन और शर्तों को स्वीकार करते हैं एवं इसके प्रमाणनस्वरूप हमने बोली के पृष्ठ सं. 01 लगायत ..... तक समस्त पृष्ठों पर फर्म की मुहर अंकित करते हुए हस्ताक्षरित कर, इस बोली के साथ संलग्न किये हैं।



हस्ताक्षर बोलीदाता/अधिकृत प्राधिकारी  
मय फर्म की मुहर



## तकनीकी बोली के मुहरबन्द लिफाफे में रखे जाने वाले दस्तावेजों का विवरण

क.सं.	दस्तावेजों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
01	हस्ताक्षरित मूल बोली प्रपत्र मय पृ.सं. 1 लगायत 1.2.	
02	राजस्थान राज्य में स्थित फर्म का संबंधित क्षेत्र के जिला उद्योग केन्द्र से एम.एस.एम.ई. फर्म के रूप में पंजीकृत होने के प्रमाण-पत्र की प्रति स्वप्रमाणित ।	
03	बोली प्रपत्र शुल्क राशि 250/- एवं 500/-रु० जमा कराने के साक्ष्य की प्रति स्वप्रमाणित ।	
04	धरोहर राशि 2760/-रु० का मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट। रुग्ण ईकाई होने की दशा में अमानत राशि का 6.90% प्रतिशत देय होगी। जिसके लिए फर्म को रुग्ण ईकाई घोषित होने के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी स्वप्रमाणित ।	
05	फर्म के जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति स्वप्रमाणित ।	
06	माह मार्च-2023 तक के जी.एस.टी. क्लियरेंस प्रमाण पत्र की प्रति या 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर कर बकाया नही होने का शपथ पत्र(प्रमाणपत्र की प्रति भी दर्शाये स्वप्रमाणित)।	
07	आयकर पैन कार्ड की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति ।	
08	परिशिष्ट-“(4)” अनुसार, पावर ऑफ अटॉर्नी के पत्र की मूल प्रति। (यदि बोली प्रक्रिया में फर्म मालिक के अलावा अन्य कोई प्राधिकारी उपस्थित होता है)	
09	परिशिष्ट-“(5)” अनुसार, 50/-रु० के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पत्र पर- फर्म को “ब्लैकलिस्टेड” नहीं होने का मूल शपथ-पत्र जो कि नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित हो।	
10	प्रपत्र एस.आर. - 11 की मूल प्रति ।	
11	फर्म का अनुभव प्रमाण-पत्र। पूर्व में आपूर्ति आदेशों की एक प्रमाणित छायाप्रतियाँ स्वप्रमाणित ।	
12	फर्म के बैंक खाते का विवरण पत्र स्वप्रमाणित ।	

हस्ताक्षर बोलीदाता/अधिकृत प्राधिकारी  
मय फर्म की मुहर

04/3/24  
अध्यक्ष, कय समिति  
जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर





## Intercom System Ext. Card का विवरण जिसकी खरीद की जानी है

क. सं.	उत्पाद का विवरण	स्पेशीफिकेशन
1	Intercom System Ext. Card	<ol style="list-style-type: none"><li>1. EPABX System Ext. Card 8 Line x 2</li><li>2. EPABX System Ext. Card 16 Line x 1</li><li>3. Telephone Line 2 pairs approx 250 Mtr.</li><li>4. DP Box 20 Pairs approx 4 case</li><li>5. New Telephone Set With CLI Approx No. 10</li></ol>



04/2/4

BIDDER'S AUTHORIZATION CERTIFICATE (To be filled by the Bidder)

To,  
The Chairman,  
Purchases Committee,  
District & Sessions Court, Alwar.

Sir,

If I / We .....(Name/Designation) hereby declare/  
certify that ..... (Name/Designation) is hereby authorized to sign  
relevant documents on behalf of the company / firm in dealing with BID / NIB No: Actts./  
NewItmes/2023-24/ <sup>8498-8503</sup> ----- Dated 04/03/2024

He / She is also authorized to attend meetings & submit technical &  
commercial information / clarifications as may be required by you in the course of  
processing the BID. For the purpose of validation, his / her verified signatures are as  
under.

Thanking you,

Verified

Signature :

Name of the Bidder :

Authorised Signatory :

Seal of the Organization

Date :

Place :



04/3/24



Declaration by the Bidder on Non Judicial Rs. 50/- Stamp Paper (To be filled by the Bidder)

To,  
The Chairman,  
Purchases Committee,  
District & Sessions Court, Alwar.  
Sir,

In response to the Ref. BID No: Actts./ NewItmes/2023-24/ <sup>8198-8503</sup> ----- Dated--4/3/24  
Purchases of **Intercom System Ext. Card** Items for the Subordinate Courts, Judgeship,  
Alwar an Owner/ Partner/ Director/ Auth.Sign.Of ..... I /We  
hereby declare that presently our Company / Firm..... at the  
time of bidding, :-

- possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- having fulfilled my / our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State / Central Government / PSU / UT;
- does not have any previous transgressions with any entity in India or any other country during last three years;
- does not have any debarment by any other procuring entity;
- is not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer, not have its business activities suspended and is not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- does not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to their qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- does not have a conflict of interest as mentioned in the bidding document which materially affects the fair competition;
- will comply with the code of integrity as specified in the bidding document.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken as per the provisions of the applicable Act and Rules thereto prescribed by GoR, my / our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

Name of the Bidder : Authorised Signatory :

Seal of the Organization

Place :

Date :



*Handwritten signature*  
04/3/24



Certificate of Conformity / No Deviation (To be filled by the Bidder)

To,  
The Chairman,  
Purchases Committee,  
District & Sessions Court, Alwar.

NIB No: Actts./ NewItmes/2023-24/~~8498-8503~~ Dated-----04/03/2024

CERTIFICATE

This is to certify that, the specifications of **Intercom System Ext. Card Items** Which I / We have mentioned in the Technical bid, and which It We shall supply if I / We am/are awarded with the work, are in conformity with the minimum specifications of the Tender/ bidding document and that there are no deviations of any kind from the requirement specifications.

Also, I / We have thoroughly read the tender/ bidding document and by signing this certificate, We hereby submit our token of acceptance to all the bid terms & Conditions without any deviations.

I / We also certify that the price I / We have quoted is inclusive of all the cost factors involved in the end-to-end implementation and execution of the project, to meet the desired Standards set out in the Tender / bidding Document.

Thanking you,

Name of the Bidder :

Authorised Signatory :

Seal of the Organization

Place :

Date :



04/3/24



(प्रपत्र-एस.आर. 11)

**—: बोलीदाताओं द्वारा घोषणा :-**

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/  
स्टोर्स/ उपकरण के लिए बोली दी है, उनका / उनके / मैं / हम,  
बोनाफाइड विनिर्माता/ थोक विक्रेता/ सोल वितरक / प्राधिकृत डीलर /  
डीलर / सोल सैलिंग / विपणन एजेंट हूँ / हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई जो  
की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी प्रतिभूति को पूर्ण  
रूप में जप्त कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार  
किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा। मैं बोली प्रपत्र में दी गई समान्य शर्तों की  
पालना हेतु अपनी सहमति देने के घोषणा करता हूँ।



हस्ताक्षर बोलीदाता/अधिकृत प्राधिकारी  
मय फर्म की मुहर

04/3/14



## बोली की सामान्य शर्तें

टिप्पणी : बोलीदाताओं को चाहिए कि वे इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें और अपनी बोली भेजते समय इन शर्तों की स्वीकारोक्ति में अपनी फर्म की मुहर अंकित कर स्वयं के हस्ताक्षर भी करें।

- 01 दरें एफ0ओ0आर0 अलवर न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए होंगी।
- 02 बोलीदाता द्वारा उन सामग्रियों के संबंध में, जिनके सम्मुख बोली प्रपत्र में विशिष्टी के कॉलम में कोई मेक/विशिष्टियाँ अंकित नहीं हैं, ऐसी स्थिति में स्वयं की मेक अथवा विशिष्टियाँ कोई हों, तो दर के साथ अंकित की जावेगी।
- 03 बोली उचित रूप से पृथक-पृथक दो मुहरबन्द लिफाफों में यथा-तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के रूप में तैयार की जाकर, दोनों लिफाफों को एक ही मुहरबन्द लिफाफे में बन्द कर इस कार्यालय में प्रेषित की जावेगी।
- 04 बोली वास्तविक एम.एस.एम.ई. फर्मों द्वारा ही दी जावेगी। जिसके लिए उन्हे संबंधित क्षेत्र के जिला उद्योग अधिकारी द्वारा जारी किया गये पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
- 05 फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप से अध्यक्ष कय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर को अविलम्ब संसूचित किया जावेगा तथा इस परिवर्तन में संविदा/बोली के अधीन किसी भी दायित्व से पूर्ववर्ती फर्म एवं उसके पूर्ववर्ती सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।
- 06 संविदा के सम्बन्ध में नई फर्म के, तब तक कोई नया/नये भागीदार स्वीकार नहीं किया जाएगा/किये जावेगें जब तक कि वह/वे समस्त निर्बन्धों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हों और अध्यक्ष कय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न कर दें। अभिस्वीकृति हेतु सफल बोलीदाता की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जावेगा और उससे वे सभी आबद्ध होंगे और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।
- 07 बोलीदाता बोली प्रपत्र स्याही से या टंकण से भरे जावेगें। पेन्सिल से भरी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जावेगा। बोलीदाता द्वारा दरें, बॉल पैन अथवा टंकण यंत्र से अंकों एवं शब्दों दोनों में अंकित की जावेगी। दरों में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अपरलेखन नहीं किया जावेगा। ऐसा यदि कोई है, तो बोलीदाता को उस पर अपने लघुहस्ताक्षर मय दिनांक करने होंगें।
- 08 बोली में दरें, समस्त करों एवं प्रभारों को शामिल करते हुए अंकित की जावें।
- 09 दरें खोली जाने की दिनांक से 31.03.2023 तक के लिए मान्य होंगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति से 01 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकेगा।
- 10 सफल बोलीदाता के लिए यह समझा जावेगा कि उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य एक दक्ष एवं निपुण व्यक्ति के स्तर का होगा। त्रुटि या संदेह की स्थिति में संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व वह अध्यक्ष कय समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगा।
- 11 सफल बोलीदाता अपने कार्य/संविदा को अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या सबलेट नहीं करेगा।
- 12 सफल बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा युक्तियुक्त समय पर सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि को निरीक्षण/परीक्षण के दौरान सेवा/सामग्री/प्रदाय का इंस्टालेशन एवं निरीक्षण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा एवं आवश्यक होने पर उचित निर्देश प्राप्त करेगा।
- 13 निरीक्षण/परीक्षण के दौरान सेवा/सामग्री/प्रदाय का जो हिस्सा निर्धारित स्तर का नहीं होगा, उसे रद्द करने का अधिकार अध्यक्ष कय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर को होगा।
- 14 यदि बोली प्रारूप एवं अन्य विवरण राजस्थान लोक उपापन पोर्टल की वेबसाईट <http://sppp.rajasthan.gov.in> से प्राप्त किया गया है तो, बोली प्रपत्र शुल्क राशि 250/-रु० का डिमाण्ड ड्राफ्ट बोली के साथ संलग्न कर, प्रस्तुत करना होगा साथ ही बोली के साथ धरोहर राशि 2760./-रु० (अक्षरे रूपये दो हजार सात सौ साठ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट भी प्रस्तुत करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट अलवर स्थित बैंक में Payable होगा/होंगें, जो कि **DISTRICT & SESSIONS JUDGE, ALWAR** के नाम से तैयार कराकर जमा कराना होगा/होंगें। इस धरोहर राशि का निम्न परिस्थितियों में समपहरण किया जा सकेगा :-

हस्ताक्षर बोलीदाता/अधिकृत प्राधिकारी  
मय फर्म की मुहर



व्यक्तिगत



- (i) जब बोली दाता, बोली खोले जाने के पश्चात्, किन्तु बोली की स्वीकृति से पूर्व बोली वापिस लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
- (ii) जब बोली दाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, सम्पादित नहीं करता।
- (iii) जब प्रदाय आदेश दिये जाने पश्चात्, बोलीदाता कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता।
- (iv) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों को प्रदाय प्रारम्भ करने में विफल रहता है।
- 15 अध्यक्ष, कय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर को किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने का अथवा बिना कोई कारण बताये, किसी भी बोली को/उसके किसी भाग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 16 सफल बोलीदाता को निर्धारित अवधि में, बोली सूचना की अनुमानित राशि का 3 प्रतिशत (एम.एस.एम.ई. फर्म के लिये) अर्थात् 4140/-रु0, कार्य सम्पादन प्रतिभूति, डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि अलवर स्थित बैंक में **Payable** होगा, के माध्यम से दरें स्वीकृत करने के 10 दिवस में आवश्यक रूप से जमा करानी होगी, जिसमें बिड प्रतिभूति के रूप में जमा कराई गई राशि का समायोजन किया जा सकेगा। जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट **DISTRICT & SESSIONS JUDGE, ALWAR** के नाम से तैयार कराना होगा। इस प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः निम्नानुसार समपहरण किया जा सकेगा :-
- (i) जब संविदा के किसी निर्बन्ध या शर्तों को भंग किया जाता है।
- (ii) जब बोलीदाता संतोषप्रद रूप से पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।
- (iii) इस संबंध में अध्यक्ष, कय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर का निर्णय अंतिम होगा।
- 17 सफल बोलीदाता को प्रारूप एस.आर.-17 के अनुसार एक करार राशि 500/-रु0 के नॉन-ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर, दरें स्वीकृत करने के 10 दिवस में आवश्यक रूप से कराना होगा।
- 18 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड-प्रथम के भाग द्वितीय के नियम-68 में अभिकथित प्रारूप एस. आर.-16 में वर्णित शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013, इस संविदा/बोली का भाग समझे जावेंगें, जो बोलीदाता पर सामान्य रूप से प्रभावी होंगें।
- 19 वित्त विभाग राज. सरकार, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 19 नवम्बर, 2015 में उल्लिखित एस.ओ. 165 के अनुसार प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
- 20 बोली प्रारूप में सुपुर्दगी हेतु निर्दिष्ट समय को संविदा का मूल तत्व समझा जाएगा और सफल बोलीदाता, अध्यक्ष, कय समिति-जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर से आदेश की प्राप्ति पर, निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रदाय की व्यवस्था करेगा।
- (i) निर्धारित नुकसान सहित परिदान कालावधि की वृद्धि के मामले में उस सामग्री/सेवा जिसका प्रदाय करने में बोली दाता विफल रहता है, के मूल्य की निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर वसूली की जा सकती है, यदि अवधि विहित कालावधि की:-
- |  |               |
|--|---------------|
| (क) एक चौथाई कालावधि तक के लिए -                         | 2.50 प्रतिशत। |
| (ख) एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी से अनधिक कालावधि के लिए- | 5.00 प्रतिशत। |
| (ग) आधे से अधिक किन्तु तीन चौथाई तक की कालावधि के लिए-   | 7.50 प्रतिशत। |
| (घ) तीन चौथाई से अधिक की कालावधि के विलम्ब के लिए-       | 10.0 प्रतिशत। |
- (ii) प्रदाय में विलंब की गणना करते समय दिन के भाग की अवहेलना कर दी जावेगी यदि वह आधे दिवस से कम है। निर्धारित नुकसान की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
- (iii) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है-तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद।
- (iv) यदि माल/सेवा के प्रदाय में विलंब, बोलीदाता के नियंत्रण से परे बाधाओं के कारण हो तो परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना, बढ़ाया जा सकेगा।



हस्ताक्षर बोलीदाता/अधिकृत प्राधिकारी  
मय फर्म की मुहर

25/3/24



21. यदि बोली सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के आदेश दिये जाते हैं, तो बोलीदाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा। अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (रिपीट ऑर्डर) बोली में दी गई शर्तों एवं दरों पर दिये जा सकेंगे जो मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत तक होगा। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जावेगी।
22. यदि अध्यक्ष, क्रय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर या सक्षम प्राधिकारी निविदत्त सामग्री में से किसी भी सामग्री के प्रदाय का आदेश नहीं करता या बोली प्रारूप में वर्णित मात्रा से कम आदेशित करता है, तो बोलीदाता मुआवजे हेतु किसी दावे का हकदार नहीं होगा।
23. बोलीदाता को बोली खोलने के समय स्वयं उपस्थित रहना होगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो उसी दिवस या अन्य किसी दिवस को जैसा अध्यक्ष, क्रय समिति उचित समझे, नेगोशिएसन करना होगा/नेगोशिएसन की दरें प्रस्तुत करनी होंगी।
24. बोलीदाता इस संबंध में गारण्टी देगा कि क्रय किये जाने वाली अथवा प्रदाय किये गये माल/भण्डार/वस्तुओं के परिदान की तारीख से छः माह की कालावधि हेतु माल/भण्डार/वस्तुओं विनिर्दिष्ट किये गये विवरण और क्वालिटी के अनुरूप बनी रहेंगी और इस तथ्य के होते हुए भी कि अध्यक्ष, क्रय समिति अथवा सक्षम अधिकारी ने उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं का निरीक्षण/अथवा अनुमोदन कर लिया है—यदि उपर्युक्त छः माह की कालावधि के उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं के संबंध में यह पाया जावे कि उपर्युक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप नहीं है या ऐसी अवधारित की गई है (और इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, क्रय समिति का निर्णय अन्तिम और निर्णायक होगा।) तो अध्यक्ष, क्रय समिति अथवा सक्षम प्राधिकारी उस माल/भण्डार/वस्तुओं को या उसके ऐसे किसी भाग को उक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप नहीं पाया जावे, अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। ऐसी अस्वीकृति पर माल विक्रेता की जोखिम पर होगा और माल की अस्वीकृति आदि से सम्बन्धित समस्त उपबन्ध लागू होंगे। बोलीदाता यदि उससे ऐसा करने को कहा जाए तो माल आदि को या उसके ऐसे किसी भाग का जिसे क्रय समिति या सक्षम अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया है—प्रतिस्थापित करेगा अन्यथा बोलीदाता ऐसे नुकसान को संदाय करेगा जो इससे समाविष्ट शर्त के भंग करने के कारण उत्पन्न हो। इस संविदा के अधीन या अन्यथा रूप से अध्यक्ष, क्रय समिति अथवा सक्षम अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर इसमें समाविष्ट कोई बात प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
25. यदि बोलीदाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो ऐसी बोली को निरस्त कर दिया जावेगा।
26. सफल बोलीदाता फर्म को सामग्री की आपूर्ति करने से पूर्व, सामग्री का सैम्पल क्रय समिति से अपने स्वयं के खर्च पर अनुमोदित कराना होगा। यदि परीक्षण परिणामों से ऐसा ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है, तो बोलीदाता ऐसे प्रदाय किये गये सामान को स्वयं के खर्च पर परिवर्तित करने के लिये बाध्य होगा।
27. सफल बोलीदाता द्वारा कार्यादेश प्राप्त करने की दिनांक से **10 दिवस की अवधि** में सामग्री की सुपुर्दगी देनी होगी। यदि सफल बोलीदाता फर्म निर्धारित अवधि में माल सप्लाई करने में असफल रहती है तो क्रय अधिकारी को पुनः बोली आमंत्रित करने/अन्यत्र से सप्लाई लेने की व्यवस्था करने की स्वतंत्रता होगी। यदि पुनः सामान क्रय करने में अधिक भुगतान करना पडा तो अन्तर राशि फर्म की अमानत राशि से काटी जावेगी तथा अन्य विधिक कार्यवाही जो की जा सकती है, किये जाने के लिये अध्यक्ष, क्रय समिति स्वतंत्र होगा।
28. जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जावेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा।
29. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार द्वारा अलवर जिला मुख्यालय पर स्थित सक्षम न्यायालय में ही प्रवृत्त की जावेगी।
30. निविदा के तहत गुणवत्ता एवं दरों के आधार पर फर्नीचर आईटम एक से अधिक फर्मों के स्वीकार किये जा सकते हैं। संपूर्ण आईटम्स किसी एक फर्म से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
31. निविदा के तहत निविदादाताओं को फर्नीचर के नमूने स्वयं की लागत पर निरीक्षण हेतु क्रय समिति के समक्ष पेश करने प्रस्तुत करने होंगे। नमूने प्रस्तुत नहीं करने पर क्रय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
32. फर्म को जारी सप्लाई आदेशानुसार निर्धारित अवधि में एक साथ ही पूर्ण आईटम्स सप्लाई करने होंगे। विलम्ब के लिए आरटीपीपी नियम 2013 के अनुसार दंड आरोपित किया जायेगा।



04/3/24

हस्ताक्षर बोलीदाता/अधिकृत प्राधिकारी  
मय फर्म की मुहर



(बोलीदाता अपनी फर्म के लैटरहेड पत्र के साथ पृथक से मुहरबन्द "वित्तीय बोली" के लिफाफे में रखें)

(BID No: Actts./ NewItmes/2023-24/-----Dated-----<sup>8498-8503</sup> 04/03/2024)**Intercom System Ext. Card हेतु "वित्तीय बोली" का प्रपत्र**

(Intercom System Ext. Card आईटम्स की विशिष्टियाँ परिशिष्ट- "(3)" में अंकितानुसार)

क.सं.	फर्नीचर आईटम का नाम	Specification	प्रति नग निविदत्त की गई दरें (रूपये में) (सभी करों एवं प्रभारों को शामिल करते हुये)	
			दर अंकों में	दर शब्दों में
1	<b>Intercom System Ext. Card</b>	1. EPABX System Ext. Card 8 Line x 2 2. EPABX System Ext. Card 16 Line x 1 3. Telephone Line 2 pairs approx 250 Mtr. 4. DP Box 20 Pairs approx 4 case 5. New Telephone Set With CLI Approx No 10		

हस्ताक्षर बोलीदाता/अधिकृत प्राधिकारी  
मय फर्म की मुहर

04/3/24

## !! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक: Actts./NewItmes/2023-24/ 8497

Dated 4/3/24

### सीमित निविदा बोली सूचना

अलवर न्याय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों हेतु 1,38,000 रुपये के **Intercom System Ext. Card** की खरीद की जानी है। इस हेतु राजस्थान राज्य में स्थित ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई. फर्म) जो कि संबंधित क्षेत्र के जिला उद्योग केन्द्र में एम.एस.एम.ई. फर्म के रूप में पंजीकृत हैं, से राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम-2013 के तहत द्वि-भागीय (तकनीकी एवं वित्तीय) मुहरबन्द शर्तहित बोली आमंत्रित की जाती हैं। बोली प्रपत्र शुल्क राशि 100/-रु०(एम.एस.एम.ई.फर्म के लिए) जमा कराकर, दिनांक 11.03.2024 की सांय 4.00 बजे तक इस कार्यालय की लेखा शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं, तथापि बोली प्रारूप एवं संलग्न अन्य विवरण को <http://sppp.rajasthan.gov.in> से भी प्राप्त किया जा सकता है। बोली प्रपत्र, धरोहर राशि 2760/-रु० के डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं अन्य वांछित दस्तावेजों सहित दिनांक 12.03.2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक इस कार्यालय में जमा कराया जा सकेगा जो कि दिनांक 12.03.2024 को सांय 4.30 बजे कय समिति द्वारा खोला जावेगा। बोली का प्रारूप, शर्तें एवं अन्य विवरण राजस्थान लोक उपापन पोर्टल की वेबसाईट <http://sppp.rajasthan.gov.in> तथा इस कार्यालय की विभागीय वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/alwar> पर भी देखे जा सकतें हैं।

अध्यक्ष, कय समिति

जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर

क्रमांक: लेखा/ नवीनमद/2023-24/ 8498-8503

दिनांक : 4/3/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 01 श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर।
- 02 सिस्टम ऑफीसर, कम्प्यूटर शाखा-कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि खुली बोली सूचना एवं संलग्न किये गये बोली प्रपत्र व अन्य दस्तावेजों को राजस्थान लोक उपापन पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अविलंब अपलोड करावें।
- 03 सम्पादक, राजस्थान पत्रिका, अलवर।
- 04 नोटिस बोर्ड-कलैक्ट्रेट / कोषालय / सूचना केन्द्र - अलवर एवं कार्यालय हाजा पर चस्पा हेतु।



अध्यक्ष, कय समिति

जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर



**!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!**

क्रमांक : Actts./ New Itmes/2023-24/8497 Dated 4/3/2024

सम्पादक,  
राजस्थान पत्रिका,  
अलवर।

विषय : बोली सूचना के प्रकाशन के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संलग्न बोली सूचना संख्या : क्रमांक:Actts./ NewItmes/2023-24/8498-8503 Dated 4/3/2024 की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए लेख है कि इस बोली सूचना का प्रकाशन, न्यूनतम साईज में, डी०पी०आर० द्वारा राजकीय कार्यालयों हेतु स्वीकृत दरों पर, अलवर से प्रकाशित होने वाले आपके क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में एक दिवस के लिए, दिनांक 05.03.2024 तक आवश्यक रूप से प्रकाशन करावें। बोली सूचना के प्रकाशन उपरान्त बिल DISTRICT & SESSIONS JUDGE, ALWAR के नाम से (दो प्रतियों में) तैयार कर, डी०पी०आर० द्वारा स्वीकृत दरों के आदेश पत्र की प्रति सहित इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार बोली सूचना।

  
अध्यक्ष, कय समिति  
जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर

